

फर्द-अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

प्राथी.....दुर्गाशंकर.....विपक्षी.....भैरवलाल.....
किस्म मुकदमा.....लाफ-पत्र.....पत्रावली संख्या.....५७४/२.....सन.....

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर वादी/प्रतिवादी/ गवाह/आदेश पालनार्थ आदेशांक व दिनांक
	<p>का पेश किया जा चुका है। बाकीगठ द्वारा प्रकरण में कार्रवाई नहीं करने से पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से पत्रावली को शकी स्तर पर शेष किया जाता है। पत्रावली के कुल शुमार होकर बंवर से कम है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p>	